यौनिकता एवं जेंडर

प्रशिक्षण गाइड

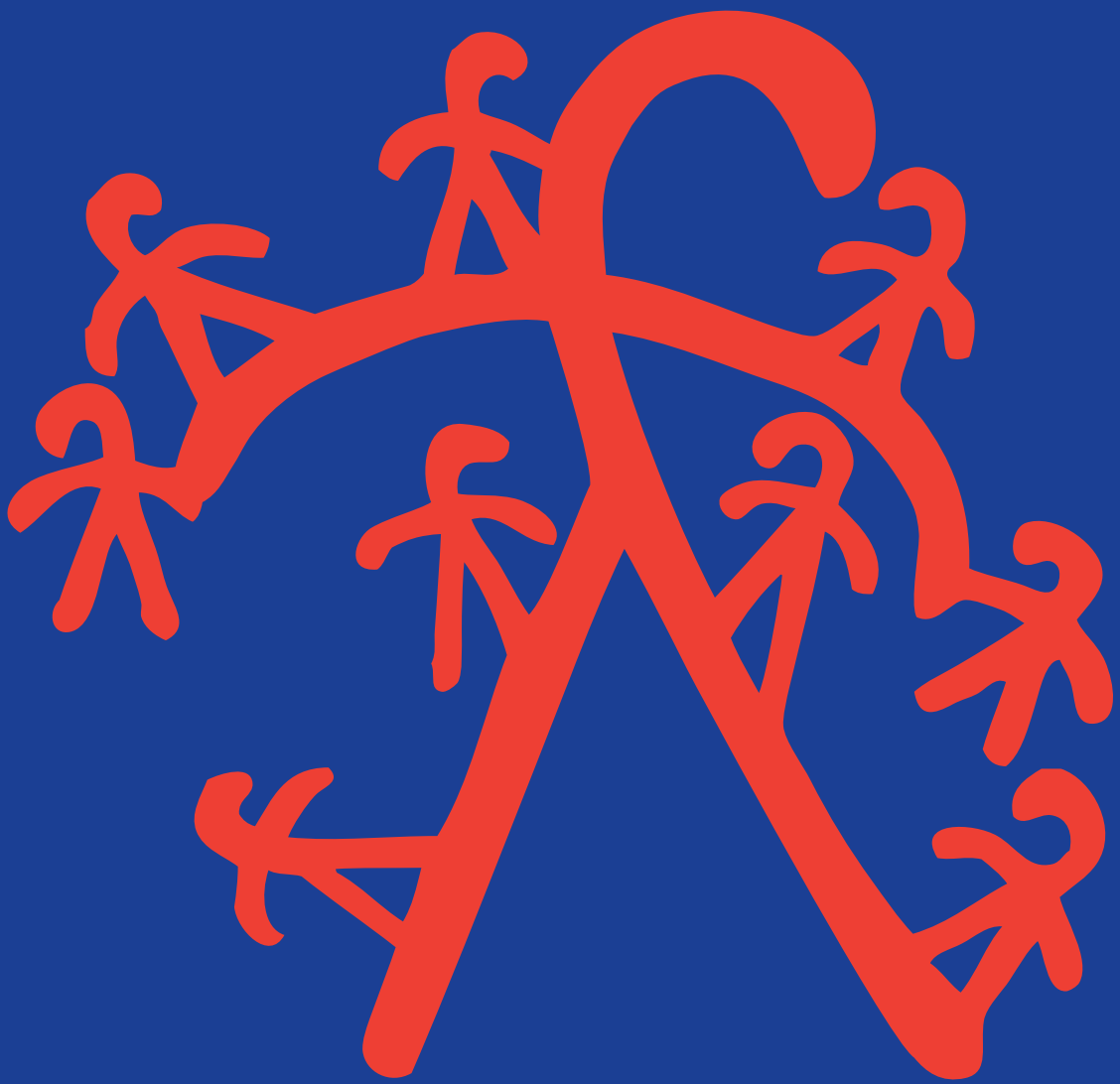

(प्रतियाँ इस पते पर उपलब्ध हैं)
क्रिया
7 मथुरा रोड, दूसरी मंजिल, जंगपुरा बी,
नई दिल्ली – 110 014

लेखन व संपादनः अस्मा सलीम, प्रमदा मेनन और शालिनी सिंह

क्रिया 2008
यह जानकारी वितरण के लिए है और आभारोक्ति के साथ कोई भी इस प्रकाशन का प्रयोग कर सकता है। इसे व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

यौनिकता एवं जेंडर

प्रशिक्षण गाइड

CREA

विषयवस्तु

विवरण		पेज न॰
परिचय		4
प्रस्तावना		6
सत्र 1		
गतिविधि 1.1	स्वागत तथा प्रशिक्षण परिचय	15
गतिविधि 1.2	अपेक्षाएं और आशंकाएं	17
सत्र 2		
गतिविधि 2.1	आरंभिक यादें	20
गतिविधि 2.2	अगर इच्छाओं के पंख होते	23
गतिविधि 2.3	स्त्री–पुरुष	25
सत्र 3		
गतिविधि 3.1	सेक्स/यौन पर चर्चा	29
गतिविधि 3.2	बाडी मैपिंग	32

सत्र 4

गतिविधि 4.1	यौनिकता का परिचय	36
गतिविधि 4.2	यौन क्रीड़ा के प्रकार	40

सत्र 5

गतिविधि 5.1	पावर वाक/सत्ता समीकरण	43
गतिविधि 5.2	यौनिकता पर नैतिकता का प्रभाव	46
गतिविधि 5.3	वाद–विवाद	50
गतिविधि 5.4	फिर से सोचें	56

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1	मूल्यांकन पत्र	60
परिशिष्ट 2	गतिविधिः यौनिक श्रेणीबद्धता/सेक्सुअल हाइरार्कीज	61
परिशिष्ट 3	परिभाषा	63
परिशिष्ट 4	उपयोगी फिल्में	68

परिचय

क्रिया नेतृत्व क्षमता के विकास और सकारात्मक बदलाव के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर महिलाओं के मानव अधिकारों व सभी के यौनिक अधिकारों को सुदृढ करने के लिए प्रयासरत है। क्रिया मुख्यतः यौनिकता, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, यौनिक व प्रजनन अधिकार, सामाजिक न्याय तथा महिला अधिकारों के मुद्दों पर कार्य करती है।

अपने अधिकारों की मांग करने तथा उन्हें पाने के लिए क्रिया महिलाओं का सशक्तिकरण करती है। यह कार्य महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ा कर, सामाजिक आंदोलनो को प्रभावित कर तथा स्थानीय, प्रांतीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क स्थापित कर प्रशिक्षण, एडवोकेसी तथा शोध के द्वारा किया जाता है। क्रिया के लिए नेतृत्व एक प्रक्रिया है – जिसमें महिलाएं प्रासंगिक अनुभवों के मूल्याकंन के द्वारा समाज में अपनी भूमिका पर प्रश्न कर, पितृसत्तात्मक ढ़ाँचे को चुनौती देती हैं। इसके साथ ही प्रभावशाली रूप से सकारात्मक सामाजिक बदलावों की उत्प्रेरक बनकर अपने अधिकारों को सुदृढ़ करती हैं।

समुदाय आधारित नेतृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत क्रिया नेतृत्व विकास और सूचना तथा अवसर की उपलब्धता के मुद्दों पर कार्य करती है। इससे जुड़े सभी कार्यक्रम महिलाओं के अधिकारों और उनके नेतृत्व विकास को संबोधित करते हैं। कई संस्थाओं की सदस्य या कार्यकर्ता होने के बावजूद ग्रासरूट तथा समुदाय स्थित संस्थाओं के अंदर महिलाओं को बहुत कम ही नेता या मुखिया या निर्णयकर्ता के रूप में देखा जाता है। पितृसत्तात्मक ढ़ाँचा, आवश्यक जानकारी की कमी, हिन्दी भाषा में सूचना की कमी, क्षमताएं तथा सीमित सामाजिक गतिशीलता – ये सभी महिलाओं को परिवार, समुदायों और व्यापक रूप से समाज के अंदर सत्ता के स्थान से दूर रखते हैं।

क्रिया का समुदाय स्थित कार्यक्रम, समुदाय स्थित संस्थाओं के अंदर महिला कार्यकर्ता के समूह की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने, समुदाय, जिला, राज्य तथा देश के स्तर पर नीतियों को प्रभावित करने और उनकी नेतृत्व क्षमता को बनाने के लिए वैचारिक, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक क्षमता प्रदान करता है।

प्रस्तावना

जेंडर एवं यौनिकता से संबंधित यह प्रशिक्षण गाइड कड़ी मेहनत, रोचक खोजों, ग़लतियों और उनके बाद कामयाबी के लगातार प्रयासों और आत्म–अवलोकन की कोशिशों का नतीजा है। उम्मीद है कि एक पथ– प्रदर्शक के तौर पर इस गाइड को पा कर पाठक संतुष्ट होंगे।

यह गाइड उन लोगों/संस्थाओं के लिये तैयार किया गया है जो अपने स्टाफ, समुदायों या विशिष्ट समूहों का इस विषय पर प्रशिक्षण करना चाहते हैं। इस गाइड के बारे में दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं।

यह बिल्कुल निजी है। प्रशिक्षण करते समय आप जितना गहराई से इसमें जायेंगे, बारीकी से मुद्दों पर विचार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप और आपका समूह इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह यौनिकता के बारे में है, उन चीज़ों के बारे में जिन पर आप रात के सन्नाटों में सोचते हैं, लेकिन जिन के बारे में बात करते समय सहज अनुभव नहीं करते। अब आपके पास अवसर है कि इस स्थान पर स्वयं भी बात करें और दूसरों को भी करने दें। अपने लिये आप सीमायें निर्धारित कर सकते हैं कि सहभागियों के साथ अपना अनुभव कितना बांटेंगे। लेकिन इन सीमाओं के निर्धारण के बावजूद काफी कुछ सीखा जा सकता है।

यह लचीला है। इसमें कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिन्हें आप चार दिनों के कार्यक्रम की रूप रेखा में बदल सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिये कि आपके पास जो समूह है, उसके साथ आप ये गतिविधियां किस प्रकार कर सकते हैं। क्या आपको थोड़े कम बड़े समूह के साथ चर्चा करने की ज़रूरत है या और अधिक छोटे समूह के साथ तीखी चर्चा करने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान दें कि आप जिस समूह का प्रशिक्षण कर रहे हैं उसकी क्या आवश्यकतायें हैं। अगर आप किसी ऐसे समूह के साथ काम कर रहे हैं, जिसे परामर्श तकनीक की आवश्कता है, तब इनमें से सारी गतिविधियां आपके लिये शायद उपयोगी न हों। फिर आपको कुछ अन्य गतिविधियां अपनानी होंगी। यह बहरहाल गाइड है, कोई नियम पुस्तिका नहीं। कुछ गतिविधियाँ परिशिष्ट में दी गई हैं। प्रशिक्षक यह तय करें कि इस गतिविधि को कब और कहां किया जा सकता है। यदि सहभागियों की इस विषय पर समझ स्पष्ट न हो तो इन गतिविधियों का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगाा।

इस गाइड में वह सब कुछ है, जो हम अपने प्रशिक्षण के दौरान करते आये हैं। यानि जेंडर, यौन एवं यौनिकता के गिर्द बुनी रहस्यात्मकता को खत्म करना, इसे इतना सहज और दिलचस्प बना देना कि लोग इस पर खुले मन से चर्चा कर पायें, अपने विचार और भावनायें व्यक्त कर सकें और इसके साथ– साथ सीख भी सकें। हमारा विश्वास है कि प्रशिक्षक का सब से महत्वपूर्ण कार्य सहभागियों को इस बात में मदद देना है कि वे अपनी समझ को चुनौती दे पायें और चीजों को सिर्फ काले या सफेद के तौर पर नहीं बल्कि इनमें मिले जुले धुंधलेपन को भी देख सकें।

इस प्रशिक्षण गाइड के कई हिस्सों को हम विभिन्न लोगों के साथ इस्तेमाल करते रहे हैं – समुदाय आधारित कार्यकर्ता, स्कूलों और कालेजों में युवा एवं महिलायें,

संस्थाओं के मुखिया, अनुदान कर्ता, कार्यक्रम बनाने और चलाने वाले और ऐसे एन जी ओ जिन्हें यौनिकता या यौनाधिकारों के साथ कोई लेना देना नहीं। इस पर हमेशा मिली जुली प्रतिक्रियायें सामने आती हैं। सहभागी समस्या के साथ जूझने से आरम्भ करते हैं और कार्यशाला समाप्त होने तक उन्हें इसमें मज़ा आने लगता है। पहले वाले निर्णय और विचार पीछे छूट जाते हैं। इस तरह यह गाइड बने बनाये चौखटों से बाहर जा कर सोचने में मदद देती है।

यह प्रशिक्षण अपंगता, राष्ट्रवाद, वेश्यावृत्ति, शारीरिक बनावट, जेंडर, रूढ़िवादिता इत्यादि विषयों को अपने घेरे में लेता है। हालांकि कुछ असहजता अच्छी रहती है, मगर हमने लोगों को असहज बनाये बिना यह प्रशिक्षण करने का प्रयास किया है। इस में यह ज़रूरी हो जाता है कि प्रशिक्षक लिंग, योनि, टिटनी आदि शब्दों के प्रयोग में स्वंय झिझक या घबराहट का अनुभव न करे। जिस चीज की व्याख्या करनी हो उसके लिये तैयार रहे।

इस में गतिविधियों की समय सीमा निर्धारित की गई है परन्तु आप ज़रूरत के अनुसार स्वंय निर्णय कर सकतें है। हो सकता है, आप अपने मन में प्रत्येक गतिविधि के लिये समय निश्चित कर लें। लेकिन यदि कुछ चीजें बहुत ज़्यादा या बहुत कम समय लें तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप आवश्यकता के अनुसार जैसे चाहें समय का उपयोग करें। अहम बात हर विषय को कवर करना है। यह नहीं कि किसी गतिविधि को आप कितना समय दे पाते हैं। आपकी कार्यशाला इस बात पर निर्भर करती है, कि आप कौन हैं, सहभागी कौन हैं। प्रशिक्षण के दौरान जो विषय आप कवर करना चाहते हैं, इस गाइड का उददेश्य उस की योजना बनाने, उस पर विचार करने, और जानकारी प्राप्त कराने में सहायता देना है।

आपकी तैयारी

कार्यशाला से पहले आपकी सोच और योजना के महत्व पर जितना भी ज़ोर दिया जाए, कम है। प्रशिक्षक की हैसियत से कुछ बातें हैं, जिन पर विचार कर लेना आवश्यक है। इस से कार्यशाला का पूरा अनुभव प्रत्येक के लिये अधिक लाभदायक सिद्व होगा।

इसमें सब से महत्वपूर्ण यह है कि कार्यशाला के विषय को ले कर आप कितने सहज हैं। सारी गतिविधियों पर नज़र डालिये और अपने लिये संबंधित प्रश्नों के उत्तर तलाश कीजिये। अगर आप न चाहें तो अपने उत्तर किसी के साथ भी साझा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप को स्वंय उनके बारे में स्पष्ट होना चाहिये। हम सब लोगों के अपने पुर्वाग्रह, डर और प्राथमिकतायें होती हैं। इन्हें समझना और स्वीकार करना आपके अपने लिये ज़रूरी है।

इस पर ध्यान दें कि कार्यशाला में आप अपने व्यक्तित्व, जीवनशैली और इतिहास के बारे में किस हद तक सहभागियों को शरीक कर सकते हैं। लोगों को इस में दिलचस्पी हो भी सकती है और नहीं भी। इस पर भी विचार करना ज़रूरी है कि आप निजी प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। आपको यह कहने का पूरा अधिकार है, "आइये, इस पर चर्चा करें कि आपने यह प्रश्न क्यों पूछा और मेरा उत्तर आपके लिये क्या अहमियत रखता है" बेहतर यही होगा कि आप अपनी सहजता का पहले से जायज़ा लें। यदि किसी की इच्छा न हो तो आप समेत किसी को भी निजी प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। निजी बातें करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसका संबंध न तो किसी इलाज से है, न यह स्वीकारोक्ति से संबंधित

है। यह याद रखिये कि एक बार आप अपने बारे में बात करना शुरू कर दें तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है।

निम्नलिखित कुछ बातें आपका काम आसान करने में मदद दे सकती हैं:

1 ज़रूरी नहीं कि आपको सारे उत्तर पहले से मालूम हों। लेकिन सहभागियों के पूछने पर उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना ज़रूरी है। मगर उत्तर सटीक और स्पष्ट होने चाहियें।

2 प्रत्येक प्रश्न को गम्भीरता से लें।

3 समूह में चर्चा को प्रोत्साहन दें। हो सकता है, चर्चा के दौरान सहभागी विषय से दूर हो जायें। जैसे ही आपको लगे कि यह उपयुक्त समय है, उन्हें वापस विषय पर ले आइये।

4 ऐसी भाषा प्रयोग कीजिये जिसे वे समझते हों।

5 हमेशा उन्हें सम्मान दीजिये।

6 चीजों को सत्यापित कीजिये।

7 जानकारी उपलब्ध करायें (अगर आपको वास्तविक जानकारी न हो तो उनसे कहिये कि थोड़ी देर में यह जानकारी उपलब्ध कराती हैं इस बीच अपने नोटस पर नज़र डालिये)

8 समूह के सामने चर्चा के लिये प्रश्न रखें। जब संभव हो उन्हें आपस में चर्चा के लिये प्रोत्साहित करें।

9 समूह को इस बात के लिये बाध्य न करें कि वह आपके दृष्टिकोण को स्वीकार करे।

10 इस बात को निश्चित कीजिये कि कार्यशाला के विषयों के प्रति आप पूरी तरह सहज हैं। आप असहज होंगे तो सहभागी भी ऐसा ही अनुभव करेंगे।

11 निर्णयात्मक शब्दों/टिप्पणियों (जैसे सामान्य, बुरा, सही, अच्छा इत्यादि) के इस्तेमाल में सावधानी बर्तें।

12 इस बात को सुनिश्चित कीजिये कि लोग 'मेरा अनुभव है कि ....' जैसे बयानों के द्वारा अपनी निजी सोच एवं अनुभव व्यक्त करें।

13 लोगों की टिप्पणियों/प्रश्नों को नज़रांदाज़ न करें –सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं तो समूह के विचार जानने के लिये उनके बीच विषय पर चर्चा को आगे बढ़ायें। साथ ही उनके लिये प्रश्न/विषय के समाधान की पेशकश करें। जिस से प्रश्न में उठाये गये मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सके ।

14 समूह की समझ के स्तर पर रह कर बात कीजिये और इसे सुनिश्चित कीजिये कि सहभागी विषय को समझ रहे हैं।

15 सहभागियों को गहराई से सोचने विचार करने का मौका दीजिये। ऐसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा करते समय, जिनके लिये गहन विचार ज़रूरी होता है, मौन से बहुत मदद ली जा सकती है।

16 प्रशिक्षण का स्वर अधिकारपूर्ण नहीं बल्कि सहयोगात्मक होना चाहिये।

यह भी ज़रूरी है कि आप हर समूह की उसकी अपनी विशेषताओं पर ध्यान देने के लिये कुछ समय निकालें। अगर आपको पता है कि किसी समूह के लिये यौनिक दुराचार एक महत्वपूण मुद्दा है (मिसाल के तौर पर कोई हाल ही में यौन हिंसा का शिकार हुआ हो) तो आप इस विषय के बारे में पढ़िये या किसी विशेषज्ञ से बात चीत कीजिये। ताकि आपको इसके बारे में गहरी जानकारी हो और कार्यशाला में इस सिलसिले में कुछ और गतिविधियां की जा सकें। आपकी जानकारी चाहे जितनी भी हो, आपके सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और अगर आपने कुछ ज्यादा ही तैयारी कर रखी है तो इसका महत्व आपको उस समय मालूम होगा जब आप मुश्किल सवालों के घेरे में होंगे। यह दुनिया विशेषज्ञों से भरी हुई है और समझदारी इसी में है कि उसका इस्तेमाल किया जाये। आप चाहें तो किसी सहायक को कार्यशाला के किसी किसी भाग में सहायता करने या अतिथि वक्ता के तौर पर बुला सकते हैं।

प्रमदा मेनन[1]

1 प्रमदा मेनन क्रिया की सह संस्थापक हैं और आठ साल तक क्रिया की कार्यक्रम निर्देशिका के रूप में कार्य करने के बाद अब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने यौनिकता पर अनेक प्रशिक्षण किए । यह प्रशिक्षण पुस्तिका उन प्रशिक्षणों से ही प्रेरित है ।

पहला दिन

सत्र 1

गतिविधि 1.1: स्वागत तथा प्रशिक्षण परिचय (30 मिनट)

गतिविधि 1.2: अपेक्षाएं और आशंकाएं (30 मिनट)

सत्र 2

गतिविधि 2.1: आरंभिक यादें (45 मिनट)

गतिविधि 2.2: अगर इच्छाओं के पंख होते (45 मिनट)

गतिविधि 2.3: स्त्री-पुरुष (45 मिनट)

सत्र 1

गतिविधि 1.1: *स्वागत तथा प्रशिक्षण परिचय* (30 मिनट)

उद्देश्य: प्रतिभागियों का स्वागत तथा परिचय।

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

प्रक्रिया:

- प्रशिक्षण का आरंभ करने से पूर्व अपना परिचय दें और प्रतिभागियों का स्वागत करें।
- प्रशिक्षण के उद्देश्य की जानकारी दें।
- संक्षेप में प्रशिक्षण की रूपरेखा के बारे में बताएं और प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ कर सुनाएं।
- यह समझाएं कि प्रशिक्षक और प्रतिभागियों – दोनों के लिए यह प्रशिक्षण सीखने की दोतरफा प्रक्रिया है। इससे संबंधों को दोस्ताना बनाने में मदद मिलेगी और विषय पर बात करने में आसानी होगी।
- प्रतिभागियों का आपस में परिचय कराने के लिए रोचक गतिविधि का प्रयोग करें।

उद्देश्य:

- जेंडर को समझना
- यौनिकता के गिर्द बुनी रहस्यात्मकता को खत्म करना
- यौनिकता के बारे में वास्तविक जानकारी देना
- यौनिकता के विभिन्न पहलुओं को सांस्कृतिक एंव सामाजिक संदर्भों में समझना
- यौनिकता और जेंडर में जुड़ाव और भिन्नता पर समझ स्पष्ट करना
- इस विषय से जुड़ी प्रचलित धारणाओं पर चुनौति पूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना

परिचय के लिए प्रस्तावित गतिविधि:

खेल 1: ***क्या तुम्हें याद है?***

प्रतिभागियों को एक गोले में बैठने के लिए कहें।

फिर उनसे उनका नाम और पसंदीदा फल बताने के लिए कहें और साथ ही उस फल और स्वंय में कोई समानता भी बताने के लिए कहें।

उदाहरण: मेरा नाम ***मंजुल*** *है और मुझे* ***सेब*** *पसंद हैं क्योंकि* ***मेरे गाल सेब की तरह लाल हैं।***

खेल 2: ***मेरा नाम.....***

प्रतिभागियों से अपने नाम के पहले अक्षर के साथ अपनी एक खूबी/खामी बताने के लिए कहें।

उदाहरण: मेरा नाम ***सुकुमार सुनीता*** *है।*

गतिविधि 1.2: *अपेक्षाएं और आशंकाएं* (30 मिनट)

उद्देश्य: कार्यशाला को सुचारु रुप से चलाने के लिये प्रतिभागियों को सहज होने में मदद देना।

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: कार्यशाला में समूह की सहभागिता बढ़ेगी। वे अपनी बातें विश्वास के साथ रख पायेंगे।

प्रक्रिया:

- प्रतिभागियों से पूछें कि प्रशिक्षण से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं
- क्या प्रतिभागियों की कोई आशंकाएं भी हैं?
- उनके उत्तर बोर्ड पर लिखते जायें।

संभावित अपेक्षाएं इस प्रकार हो सकती हैं:

- कार्यशाला के दौरान यौनिकता के बारे में अपनी समझ को स्पष्ट करना
- यौनिकता के बारे में व्यापक समझ बनाना
- यौनिकता और जेंडर में क्या भिन्नता है?
- समलैंगिक रिश्तों पर समझ बनाना
- यौनिकता के कौन कौन से पहलू हैं?
- यौनिकता में और हमारे काम में क्या जुड़ाव है?
- यौनिकता का किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या असर हो सकता है?

संभावित आशंकायें इस प्रकार हो सकती हैं:

- गुप्तांगों के नाम बोलना
- शरीर के अंगों को खोलकर दिखाने के बारे में बोलना
- यौनिक रिश्तों को लेकर मन में प्रश्न
- यौनिकता के बारे में पता नहीं क्या पूछेगें
- अपने अंदर की बातें विश्वास के साथ रख पाएगें कि नहीं

प्रशिक्षक के लिए सुझाव:

प्रशिक्षक बता सकते हैं कि प्रतिभागियों की कौन सी आशायें इस कार्यशाला से पूरी होंगी और कौन सी नहीं। डर एवं संकोच को दूर करने और बात को सुविधाजनक ढंग से कहने के लिये कार्यशाला के दौरान चर्चा के लिये कुछ नियम बना लें। समूह से पूछें वे क्या चाहते हैं? इन नियमों के अलावा उनके सुझाव भी जोड़ सकते हैं।

यह नियम इस प्रकार हो सकते हैं :–

- कार्यशाला में कही गई बातें कार्यशाला तक ही सीमित रखी जाएंगी
- किसी का मज़ाक़ नहीं उड़ाया जाएगा
- सभी को समान रूप से बोलने का अवसर दिया जाएगा
- एक दूसरे की बात को प्राथमिकता दी जाएगी
- समय का ध्यान रखा जाएगा
- बातों को कहने में ईमानदारी बरती जाएगी
- यह कहने की बजाए कि समाज या संस्कृति ऐसा कहते हैं, अपनी निजी सोच एवं अनुभव व्यक्त करें

सत्र 2

गतिविधि 2.1: *आरंभिक यादें* (45 मिनट)

उद्देश्य: यह प्रशिक्षण जेंडर और यौनिकता की तमाम जटिलताओं को व्यक्तिगत और राजनीतिक, दोनों ही स्तरों पर समझने से संबद्ध है।

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: सहभागी व्यक्तिगत आधार पर इन विषयों को जानेंगे और जेंडर और यौनिकता को समझ पायेंगे।

प्रक्रिया:

- समूह को छोटे समूहों में विभाजित कर दें और निम्न प्रश्नों की सूची दे दें। आप चाहें तो इन प्रश्नों को बोर्ड पर लिख सकते हैं या फिर हर समूह को कागज़ पर लिखे गए प्रश्नों की सूची भी दे सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने लड़की होने का पता कब चला?
- आपके लिए इस जानकारी का क्या अर्थ है? आपको कैसा महसूस हुआ?
- क्या पहली बार अपने 'लड़की' होने के एहसास के बारे में सोचे जाने की घटना को याद कर पाना आसान था या फिर इसमें आपको कठिनाई हुई?
- बचपन को याद करना कैसा लगता है? क्या इससे आप स्वयं को ताकतवर महसूस करते हैं या फिर बचपन में लौटने के विचार से डर लगता है?

- यदि आप सहज महसूस करें तो अपने बचपन की कुछ घटनाओं के बारे में समूह को बतायें।
- उन्हें आपस में विचार–विमर्श करने का समय दें और फिर पूरे समूह को इकटठा कर विचार–विमर्श आरंभ करें।

संभावित उत्तर इस प्रकार हो सकते हैं:

- ''जब पहली बार मेरी माँ मेरे लिए ब्रा खरीद कर लाई और मुझे सेनिटरी नेपकिन प्रयोग करना सिखाया – तब मुझे मालूम हुआ कि मैं दूसरों से अलग थी और एक लड़की थी।''
- ''जब लड़के झुक कर मेरी मिनी स्कर्ट के नीचे झांकने का प्रयास करने लगे।''
- ''मैं चौथी कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और वह मुझे प्यार करता है। मैं उस दिन बहुत रोई.....।''
- संभव है कि सहभागी यह बतायें कि इस प्रकार के एहसास होने के बाद वे अधिक मुक्त या बंधे हुए महसूस करने लगे।
- यह भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल ही अप्रत्याशित विचार सुनाई पड़े। आप ऐसे किन्हीं भी विचारों को सुनने के लिए तैयार रहें । क्योंकि जानकारी पाने की इस यात्रा के आरंभ में आप शायद ही किसी भी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने से रोकना चाहेंगे।

सामूहिक चर्चा के लिये प्रश्न :

- महिलाओं के रूप में, अपने शरीर के बारे में पर्याप्त सही जानकारी न मिलने पर हमें कैसा लगता है?
- क्या लिंग भी समाज द्वारा निर्मित है?

प्रशिक्षक के लिये सुझाव

आप प्रतिभागियों से पूछ सकते हैं कि उन्हें यह गतिविधि करते हुये कैसा लगा ? इस पर ध्यान दें कि वह सहजता के साथ अपनी बात कह पा रहे हैं या नहीं। और क्या उन यादों को दोहरा पाना उनके लिये सुखद था।

सेक्स और जेंडर के बीच के अंतर बताने के लिए आपके समक्ष यह एक अच्छा अवसर है। आप अपनी चर्चा में उपरोक्त कुछ विषयों के साथ–साथ बातचीत के दौरान उठने वाले अन्य विचारों को भी शामिल कर सकते हैं।

हम जन्म से ही किसी एक सेक्स या लिंग के होते हैं। जेंडर एक सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें लड़के या लड़कियों के व्यवहारों को प्राकृतिक रूप से समझने की अपेक्षा, समाज यह निर्धारित करता है कि किसी लड़के या लड़की का व्यवहार कैसा हो। समाज निर्धारित करता है कि उनका पहनावा कैसा होगा, चाल ढाल क्या होगी, वे क्या कार्य करेंगी, घर में समाज में उनकी भूमिका क्या होगी। आमतौर पर सामाजिक निर्माण की यह प्रक्रिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाली होती है।

महिलाओं द्वारा दूसरों के समक्ष समर्पण करने और पुरुषों के ताकतवर होने जैसी जेंडर विचारधाराओं के कारण स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के मिलने तथा आपसी विचार–विमर्श की प्रक्रिया में बाधा पहुँचती है।

गतिविधि 2.2: अगर इच्छाओं के पंख होते (45 मिनट)

उद्देश्य: इस बात को समझना कि जेंडर हमें कैसे सीमाओं में बांधता है और क्यों?

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम:

- समाज में जेंडर की भूमिका कैसे हमारे विकल्पों को सीमित कर देती है, स्पष्ट होगा।
- प्रतिभागियों से प्राप्त व्यक्तिगत तथा कार्यानुभव की जानकारी को प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दौरान उदाहरण के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग यदि एच आई वी के मुद्दे पर काम कर रहे हैं तो इस मुद्दे को जेंडर और यौनिकता से जोड़ कर बात करने में सहायता मिलेगी।

प्रक्रिया:

- सभी प्रतिभागियों को दो–दो के जोड़े बनाकर बांट दें।
- वे आपस में एक दूसरे को अपनी व्यक्तिगत तथा कार्य संबंधी जानकारी दें, कि जब वे छोटी थीं तो वे क्या बनना चाहती थीं। उसमें क्या क्या परेशानियां आईं और कितनी सफलता मिली।
- फिर वे एक दूसरे के बारे में बाकी समूह को बतायें।

(यह गतिविधि समूह के साथ भी की जा सकती है और दो–दो लोगों के जोड़े के साथ भी)

हो सकता है वे कहें कि

- सुंदर और अच्छी लड़की बनना चाहती थीं।
- वे पढ़ना चाहती थीं।
- सामाजिक परिभाषा के अनुसार अच्छी औरत बनाना चाहती थीं।
- नौकरी नहीं, बिज़नेस करना चाहती थीं।
- कोई चाहती थीं कि उन्हें अच्छा पति मिले।
- पायलट बनना चाहती थीं।
- फील्ड जाब में परेशानी होती है।
- जासूस बनने में रूचि थी।

प्रशिक्षक के लिए सुझाव

इस परिचय से जो बात एकदम स्पष्ट रूप से सामने आएगी वो यह कि समाज में अच्छी औरत होने के नाते जेंडर व समाज की कुछ रूढ़िवादी भूमिकाएं कुछ महिलाएं बनाए रखना चाहती थीं जैसे अच्छा पति पाने की इच्छा। आम तौर पर समझा जाता है, कि महिलाएं पढ़ना नहीं चाहतीं। मगर हो सकता है कि बहुत सी महिलाएं कहें कि वे पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती थीं, पर सामाजिक व आर्थिक कारणों से पढ़ नहीं सकीं। कुछ महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के कारण घर से लम्बे समय तक बाहर नहीं रह सकतीं, जिसके कारण योग्यता होते हुये भी वह अपनी मर्ज़ी का कार्यक्षेत्र नहीं चुन पातीं।

प्रशिक्षक स्पष्ट कर सकता है कि जेंडर की भूमिका और उससे जुड़ी अपेक्षायें किस प्रकार जीवन के विकल्पों को सीमित कर देती हैं। बहुत से समाजों में लड़कियों को लड़कों से हीन अनुभव करने की शिक्षा देते हुए उन्हें 'अच्छी' पत्नियाँ बनने के लिए तैयार किया जाता है। परिवार, शिक्षक और संगी–साथी इन विचारों को सशक्त करते रहते हैं कि लड़कियाँ लड़कों से हीन होती हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत सी युवतियाँ इस स्थिति को स्वीकार करते हुये वास्तव में खुद को हीन समझना आरंभ कर देती हैं।

गतिविधि 2.3: स्त्री–पुरुष (45 मिनट)

उद्देश्य: जेंडर को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: सहभागी सामाजिक/व्यक्तिगत आधार पर जेंडर व उसके प्रभाव को विस्तार से जानेंगे।

प्रक्रिया:

- प्रतिभागियों को छोटे–छोटे समूहो में बांट दें।
- दोनों समूहों से स्त्री–पुरुष की विशेषतायें बताने के लिए कहें।
- इन शब्दों को प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखते जायें।
- इस पर ध्यान दें कि ये शब्द मुख्य तौर पर किस ओर इशारा करते हैं।

- इन विशेषताओं पर प्रतिभागियों के क्या विचार/अनुभव हैं?

संभावित विशेषतायें इस प्रकार हो सकती हैं :

स्त्री: सुन्दर, शर्मीली, स्तन, योनि, लम्बे बाल, मासिक धर्म, धार्मिक, पूजा पाठ करने वाली, माँ, घर से लम्बे समय तक बाहर नहीं रहने वाली, सुशील, आज्ञाकारी, शांत, पैसा बचा कर रखने वाली, यौन संतुष्टि देने वाली, पति की इच्छा पूर्ति करने वाली, खाना पकाने वाली, पुत्रों को जन्म देने वाली, बच्चों को पालने वाली, कोमल, त्याग करने वाली, एकनिष्ठ, भावुक,

पुरुष: ताकतवर, मनमानी करने वाला, छोटे बाल, शरीर पर बाल, पैसा कमाने वाला, शराबी, स्वतंत्र, बाहर रहने वाला, बाप, व्याभिचारी, लिंग, सत्ता, मूंछें, क्रोधी, हेंडसम,

सामूहिक चर्चा के लिये प्रश्न:

इन में वास्तव में ऐसी कौन सी विशेषतायें हैं, जो केवल स्त्री या केवल पुरुष पर लागू होती हैं।

प्रशिक्षक के लिये सुझाव:

इस समय आप बता सकते हैं कि कैसे अधिकतर विशेषतायें, स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। यह प्रश्न उठ सकता है कि महिलायें शारीरिक तौर पर कोमल होती हैं, वे पुरुषों के समान शक्तिशाली कैसे हो सकती हैं। आप

चर्चा कर सकते हैं कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व के बारे में हमारी धारणायें कैसे बनती हैं । बुनियादी अंतर तो शारीरिक बनावट का ही होता है, लेकिन यह अंतर हमाारी सोच को किस तरह प्रभावित करता है। यह हमारे भीतर से आता है या समाज की देन होता है । हम जिन विशेषताओं को अंतर के तौर पर देखते हैं, क्या वे वास्तव में अंतर को दर्शाती हैं? उदाहरण के तौर पर मूंछें या शरीर पर बाल पुरुष की विशेषताओं में गिने जाते हैं । मगर बहुत सी महिलायें हैं, जो ब्यूटी पार्लर जा कर अपने चेहरे और शरीर से बाल निकलवाती हैं।

दूसरा दिन

सत्र 3

गतिविधि 3.1: स्वागत तथा प्रशिक्षण परिचय (30 मिनट)

गतिविधि 3.2: अपेक्षाएं और आशंकाएं (30 मिनट)

सत्र 4

गतिविधि 4.1: यौनिकता का परिचय (45 मिनट / 1 घंटा)

गतिविधि 4.2: यौन क्रीड़ा के प्रकार (45 मिनट)

सत्र 5

गतिविधि 5.1: सत्ता समीकरण /पावर वाक (60 मिनट)

गतिविधि 5.2: यौनिकता पर नैतिकता का प्रभाव (45 मिनट)

गतिविधि 5.3: वाद-विवाद (60 मिनट)

गतिविधि 5.4: फिर से सोचें (45 मिनट)

सत्र 3

गतिविधि 3.1: सेक्स/यौन पर चर्चा (60 मिनट)

उद्देश्य: सेक्स या यौन संबंधों पर विचार–विमर्श करना।

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: यौन पर प्रतिभागियों की समझ स्पष्ट होगी

प्रक्रिया: प्रतिभागियों को दो समूहो में बांट दें।

- दोनों समूहों से सेक्स को लेकर मन में आने वाले शब्द बताने के लिए कहें। इन शब्दों को प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखते जायें। प्रतिभागियों से कहें कि वे निम्नलिखित पर विचार करें:
- उन्होंने पहली बार सेक्स के बारे में कब सुना?
- उन्होंने क्या सुना और किससे सुना?
- उन्होंने पहली बार हिंसा, उत्पीड़न और बलात्कार के बारे में कब जाना?
- कब सबसे पहले हमारी बातचीत में कण्डोम पर चर्चा की जाने लगी?
- आप प्रतिभागियों से कहें कि वे इन प्रश्नों के बारे में अपने उत्तर सबके सामने व्यक्त करें या फिर यदि वे चाहें तो उत्तरों को काग़ज़ पर लिखकर आप तक पहुँचा सकते हैं।

सामूहिक चर्चा के लिये प्रश्न :

- यह गतिविधि करते हुये कैसा लगा?
- समूह में चर्चा कैसे आगे बढ़ी? क्या हरेक ने चर्चा में भाग लिया?
- सेक्स से आपका क्या अभिप्राय है? क्या यह सेक्स करने की प्रक्रिया है या फिर किसी पुरुष और स्त्री के बीच का शारीरिक अंतर है?
- वे क्या कारण हैं कि हम खुलकर सेक्स के बारे में चर्चा नहीं कर पाते?
- क्या इस शब्द को कभी सकारात्मक या आनन्द के परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाता है ?
- हो सकता है, समूह में कुछ बड़ी उम्र के लोग भी हों। आप पूछ सकते हैं कि जब हम युवा होते हैं और जब नयी पीढ़ी हमारे सामने होती है तो क्या सेक्स के बारे में हमारी सोच बदल जाती है ?

प्रशिक्षक के लिये सुझाव:

कार्यशाला की अन्य गतिविधियों की तरह यह गतिविधि भी प्रतिभागियों से यह पूछने का अच्छा अवसर है कि ये गतिविधियाँ करते हुए उन्हें कैसा लग रहा है ? क्या इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वे शर्म महसूस करते हैं या उन्हें लगता है कि अब वे खुलकर इन शब्दों को लिख और बोल सकते हैं ?

हमारी संस्कृति, शिक्षा और प्रथाओं से हमें बताया जाता है कि यह एक शर्मनाक और बुरा विषय है। चूंकि सेक्स के बारे में चर्चा करना बुरा समझा जाता है

इसलिए हमें आमतौर पर अपर्याप्त जानकारियाँ ही मिल पाती हैं। हमें अपने दोस्तों, किताबों या फिर किसी भी अन्य स्रोत से आधी–अधूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने माता–पिता द्वारा सेक्स किए जाने की कल्पना मात्र से ही हम शर्मिन्दा या भयभीत हो जाते हैं और शर्म की इसी भावना के साथ बड़े होते हैं।

सेक्स पर विचार–विमर्श करने की प्रक्रिया में शर्म, उत्पीड़न, निषेध, बातचीत, हिंसा, गाली–गलौच जैसे बहुत से शब्दों पर विचार किया जाता है। इस विचार–विमर्श के दौरान आनन्द प्राप्त करने या सटीक जानकारी दिए जाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सेक्स हर व्यक्ति के दैनिक जीवन का अंग है फिर भी हम सार्वजनिक रूप से कभी इस विषय पर चर्चा नहीं करते : सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवन में इस विषय पर चर्चा न किए जाने से यह विषय छिप सा जाता है। मीडिया में भी इस पर चर्चा नहीं होती और न ही इस विषय को खुलकर उठाया जाता है।

आप स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जायेंगे जब हमने अपने माँ–बाप और समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ा हो। परन्तु फिर भी आमतौर पर लोग यौनिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि बचपन से ही हमारे मानस में यह बात इतने प्रभावी रूप से बिठा जाती है कि कामेच्छाओं का अनुभव करना, जानकारी प्राप्त करने के प्रयास करना अप्राकृतिक और असामान्य व्यवहार है। इसका परिणाम यह होता है कि हम स्वयं को रोक कर रखते हैं, ताकि हम कहीं ''बुरे'' या ''अनैतिक'' न हो जायें और हमें सामाजिक रूप से कलंकित न होना पड़े।

गतिविधि 3.2: बाडी मैपिंग (60 मिनट)

उद्देश्य: चर्चा किए जा रहे विषयों और अपने शरीर के बीच वास्तविक रूप से संबंध बनाकर सोचने के लिये प्रेरित करना

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

प्रक्रिया:

- चार्ट पेपर और मार्कर पेन ले लें।
- समूह को आवश्यकतानुसार छोटे समूहों में बाँट दें।
- प्रत्येक समूह के लोग समूह में से ही एक व्यक्ति को चुन कर उसके शरीर की रूपरेखा कागज़ पर खींचे।
- शरीर के इस रेखाचित्र में उन स्थानों को इंगित करें जो शक्ति, आनन्द, दर्द और शर्म के प्रतीक हैं।
- बोर्ड पर चार क्षेत्र दिखाने के लिए चार कॉलम बनायें। इन्हें 'शक्ति', 'आनन्द', 'दर्द' और 'शर्म' का शीर्षक दें और हर कॉलम में शरीर के सभी भागों को लिखें।

संभावित परिणाम इस प्रकार हो सकते हैं:

- आनन्द, दर्द, शक्ति और शर्म के वर्गीकरण में बहुत अधिक अंतर हो सकता है
- अनेक स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ एक से अधिक तरह की भावनायें बताई जाएं।

- हो सकता है कि योनि को शरीर में आनन्द, शक्ति, शर्म और दर्द प्रदान करने के अंग के रूप में दिखाया जाए।

सामूहिक चर्चा के लिये प्रश्न :

- जिस प्रतिभागी के शरीर का चित्र बनाया गया उसे क्यों और कैसे चुना गया।
- क्या उस प्रतिभागी का शरीर सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप है या विपरीत है।
- जिस प्रतिभागी का चित्र बनाया जा रहा था, उसे उस समय कैसा अनुभव हो रहा था और जो प्रतिभागी चित्र बना रहे थे उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था
- जब शरीर का ऊपरी और निचला, दोनों ही भाग कामुक है तो शरीर के निचले भाग को अधिक गोपनीय क्यों माना जाता है?
- क्या आनन्द और मर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं?
- कल्पना करें कि सभी शरीरों में विकलांगतायें थीं – तो क्या ऐसी स्थिति में हम विकलांग शरीर का रेखाचित्र बनाते?

प्रशिक्षक के लिये सुझाव

यदि कार्यशाला में भाग ले रहे किसी प्रतिभागी की विशेष आवश्यकताएं हों तो इस विषय पर पहले से ही विचार कर लें कि आप किस प्रकार उसकी आवश्यकताओं

को पूरा कर पायेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को लेटने में तकलीफ़ हो तो इस पर विचार कर लें कि आप लेटने का विषय उठा रहे हों तो इस पर कैसे चर्चा कर पायेंगे। यदि कोई महिला प्रतिभागी गर्भवती हो तो इस कारण उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार प्रभावित होगी।

आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि आनन्द की अनुभूति वास्तव में मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया है। शरीर के भौतिक होने और शारीरिक अनुभूतियों के विषय पर चर्चा करें। प्रशिक्षक स्पष्ट कर सकता है कि हम अपने मन–मस्तिष्क में सेक्स और यौनिकता को किस प्रकार जोड़ कर देखते हैं? यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो संभव है कि आपको उसके साथ सेक्स करने की आवश्यकता महसूस हो अथवा न हो। कामेच्छाओं का अनुभव तो प्रेम के बिना भी हो सकता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में आमतौर पर हम कभी विचार ही नहीं करते।

शर्म क्या है? क्या शर्म एक सामाजिक अनुभूति है? पुरुषों के स्तनों की अपेक्षा महिलाओं के स्तनों को अधिक शर्मनाक क्यों माना जाता है? महिलाओं द्वारा अपने वक्ष स्थल को ढक कर रखे जाने की आवश्यकता क्यों होती है? कुछ देशों में बड़े स्तन होना शर्मनाक माना जाता है जबकि अन्य देशों में इन्हें आकर्षक माना जाता है। शर्म वास्तव में एक ऐसी भावना है जिसका हम से या हमारे मानस से कोई लेना–देना नहीं है – शर्म जैसी सभी भावनायें हमारे अपने विचारों को व्यक्त करती हैं या हमें सिखाई गई बातों को दर्शाती हैं।

इस पर ध्यान दें कि शरीर के रेखाचित्र में टिटनी (क्लीटॉरिस) का वर्णन किया गया है या नहीं।

महिला के शरीर में टिटनी (क्लीटॉरिस) की भूमिका केवल आनन्द देने के लिए ही है। इस अंग का कोई अन्य काम नहीं होता। हम में से कितने लोगों को इस

अंग के बारे में जानकारी होती है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि प्रजनन की प्रक्रिया में इस अंग की कोई भूमिका नहीं होती। इसीलिए हम टिटनी के बारे में बहुत कम बातचीत करते हैं।

हमारे मन में हमेशा यह रहता है कि यौन संबंध केवल बच्चों को जन्म देने के लिए ही होता है लेकिन यौन संबंध सुख के लिए भी है। आनन्द की अनुभूति के विषय पर भी प्रश्न पूछा जाना आवश्यक है।

क्या यह महत्वपूर्ण नहीं कि आनन्द और सहमति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं?

उदाहरण के लिए यदि कोई पुरुष इसलिए ओरल सेक्स करवाना चाहे क्योंकि उसे इसमें आनन्द मिलता है तो क्या उस पुरुष के साथ ओरल सेक्स करने वाले व्यक्ति के लिए भी इसके लिए सहमत होना आवश्यक नहीं? इसलिए हमें आनन्द और सहमति पर एक ही साथ विचार करना होगा। यदि किसी कार्य में सहमति न हो तो वह कार्य अवश्य ही उत्पीड़न या डरा धमका कर किया गया काम होगा।

इस गतिविधि को करते हुए अपंगता या विकलांगता के विषय को भी उठाया जा सकता है क्योंकि इस गतिविधि में हम अपने शरीर की संरचना के बारे में अपनी कल्पनाओं के विषय पर बात कर रहे हैं।

सत्र 4

गतिविधि 4.1: *यौनिकता का परिचय* (45 मिनट /1 घंटा)

उद्देश्य: यौनिकता के विषय पर मुक्त विचार–विमर्श आरम्भ करना।

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: यौनिकता पर प्रतिभागियों की समझ स्पष्ट होगी

प्रक्रिया:

- प्रतिभागियों को छोटे–छोटे समूहो में बांट दें।
- प्रत्येक समूह से यौनिकता को लेकर मन में आने वाले शब्द बताने के लिए कहें।
- इन शब्दों को प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखता जाये।
- इन शब्दों पर प्रतिभागियों के क्या विचार/अनुभव हैं?

सम्भावित शब्द निम्नलिखित हो सकते हैं:-

डर, शर्म, झिझक, प्रश्न, घबराहट, गंदा, इज़्जत, भयानक, योनि, रिश्ते, गुप्तांग, बेशर्म, रंडी, पतुरिया, छिनाल, हंसना, अपने मन की बात करना, आकर्षण, संतुष्टि, आर्गाज़्म, शरमाना, लुभाना, मुस्कुराना हिंसा सुदंर सपने (यौन संबंध

से जुड़े), आँखों से सब हो जाना, आँख ही आग लगाती है, एकांत में सोचना, सोच में डूब जाना, शरीर के अंदर उथल पुथल मचना

सम्भावित विचार/अनुभव इस प्रकार हो सकते हैं:-

- समाज में यौनिकता को बुरे नज़रिये से देखा जाता है।
- यह एक वर्जित विषय है और इसके बारे में बात करने या रूचि दिखाने वाले को लोग खराब समझते हैं और गलत नजर से देखते हैं।
- यदि कोई गैर शादीशुदा लड़की सज संवर कर निकले तो उसके बारे में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होने लगता है।
- 15–16 साल की उम्र में लड़की यदि सजती संवरती है तो समाज इस उम्र में लड़की के सजने पर रोक लगाता है और बुरा समझता है।

सामूहिक चर्चा के लिये प्रश्न:

- यौनिकता से हम क्या समझते हैं?
- यौनिकता पर किन–किन बातों का प्रभाव पड़ता है?

प्रशिक्षक के लिये सुझाव

यौनिकता का अर्थ हम कई बार केवल यौन क्रिया समझते हैं। यौनिकता का अभिप्राय प्रवृत्तियों, पहचान, व्यवहारों आदि से है। यौनिकता का अर्थ यह है

कि हम कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं आदि.....। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यकित यौनिकता को एक ही तरह अनुभव और अभिव्यक्त करे।

आमतौर पर हमारे जेंडर से यह निर्धारित होता है कि हम अपनी यौनिकता को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। महिलाओं से कहा जाता है कि वे बहुत से काम नहीं कर सकतीं। ऐसा भी माना जाता है कि महिलाओं की यौनिकता नियंत्रण से परे होती है। किसी को देख कर अच्छा लग सकता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसके साथ सम्भोग करना चाहते हैं। आमतौर पर यौनिकता को केवल नकारात्मक रूप में ही देखा जाता है लेकिन सम्भोग के अलावा भी यौनिकता को व्यक्त किया जा सकता है।

इस पर ध्यान दें कि ये शब्द मुख्य तौर पर किस ओर इशारा करते हैं। हो सकता है ये शब्द मुख्य तौर पर हिंसा, डर और ख़ुशी को ज़ाहिर करते हों। इस के आधार पर यौनिकता के बारे में समाज की मानसिकता पर व्यापक रूप से चर्चा की जा सकती है।

अब हम यह जान रहे हैं कि जन्म के समय लिंग भी पूरी तरह से निर्धारित नहीं होता। बहुत से बच्चे इंटरसेक्स या अंतरलिंगी होते हैं जिनमें दोनों ही लिंगों की विशेषताएं होती है। ऐसे मामलों में, बच्चे में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताओं के आधार पर डॉक्टर यह निर्णय लेते हैं कि उस बच्चे का लिंग क्या होगा। यह निर्णय लेने के बाद वे उस बच्चे को पूरी तरह लड़की या लड़का बनाने के लिए आपरेशन भी करते हैं।

यदि आप शारीरिक रूप से लड़की हैं लेकिन आपके मन में लड़कों जैसी भावनायें हों या आप स्वयं को लड़का महसूस करें, अथवा इससे विपरीत स्थिति हो, तो क्या

होगा? इस बारे में स्पष्ट नियमों के कारण समाज इस प्रकार की भावनाओं की अनुमति नहीं देता। जन्म से ही इस बारे में स्पष्ट एवं प्राकृतिक समझ विकसित करने की अपेक्षा हमें जेंडर की शिक्षा दी जाती है। हम प्रायः जेंडर और लिंग में अंतर नहीं कर पाते क्योंकि समाज भी इन दोनों के बीच अंतर को नहीं मानता।

यह अच्छा अवसर है, जब आप इंटर सेक्स[1], बाइसेक्सुअल[2], ट्रांस सेक्सुअल[3], ट्रांस–जेंडर[4] और हिजड़ों के बारे में बता सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो स्त्री या पुरुष शरीर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उस शरीर के साथ वह अपनी पहचान नहीं कर पाते। वे आपरेशन द्वारा अपना लिंग परिवर्तन करा लेते हैं। कई लोग लिंग परिवर्तन तो नहीं कराते, मगर वे जैसा अनुभव करते हैं, उसके अनुसार वेषभूषा अपनाते हैं। उन्हें "क्रास ड्रेसर" कहा जाता है।

1 कृप्या परिशिष्ट 3 में परिभाषा के तहत देखिये।

2 कृप्या परिशिष्ट 3 में परिभाषा के तहत देखिये।

3 कृप्या परिशिष्ट 3 में परिभाषा के तहत देखिये।

4 कृप्या परिशिष्ट 3 में परिभाषा के तहत देखिये।

गतिविधि 4.2: यौन क्रीड़ा के प्रकार (45 मिनट)

उद्देश्य: यौनिकता के विभिन्न पहलुओं को जानना

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: यौनिकता की अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को समझना।

प्रक्रिया:

- समूह के साथ मिलकर यौन क्रियाओं की सूची बनाएं।
- आप चाहें तो समूह को विभाजित कर आपस में प्रतियोगिता करें और देखें कि कौनसा समूह सबसे अधिक विधियों की जानकारी देता है।

सम्भावित परिणाम इस प्रकार हो सकते हैं:

- आपको अत्यंत लंबी और विस्तृत सूची प्राप्त हो सकती है, जिसमें अनेक हरकतों, संभोग की विभिन्न स्थितियों, समलिंगी सेक्स,[5] साइबर सेक्स[6], एस एन एम जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।
- समलिंगी सेक्स
- संभोग करने के लिये विपरीत लिंग का होना आवश्यक है।

5 कृप्या परिशिष्ट 3 में परिभाषा के तहत देखिये।
6 कृप्या परिशिष्ट 3 में परिभाषा के तहत देखिये।

सामूहिक चर्चा के लिये प्रश्न:

क्या कारण हैं कि हम यौन प्रवृत्तियों या कामेच्छाओं के बारे में प्रश्न नहीं कर पाते?

प्रशिक्षक के लिए सुझाव

सहभागी पूछ सकते हैं कि इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार रहें।

आप उन्हें बता सकते हैं कि लोग अपनी यौनिकता और कामेच्छाओं को बहुत से अलग–अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं।

समूह द्वारा बताई गई सभी यौन क्रीड़ाऐं महिला–महिला या पुरुष–पुरुष के बीच हो सकती हैं। जो क्रिया पुरुष–पुरुष के बीच हो सकती है, वह पुरुष एवं हिजड़े के बीच भी हो सकती है। केवल लिंग व योनि द्वारा की जाने वाली क्रीड़ाओं के लिए महिला–पुरूष का होना आवश्यक है। इस विषय पर चर्चा करें कि सेक्स के बारे में खुलकर बात कर पाना कितना कठिन हो सकता है। यह चर्चा पिछली दो गतिविधियों में की जा रही चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए की जा सकती है।

किसी भी यौनिक कार्य में, दो व्यस्कों के बीच आपसी सहमति पर विशेष जोर दें।

अलग–अलग संस्कृतियों और समाजों में व्यस्क व्यक्ति की परिभाषा भिन्न हो सकती है।

आप स्पष्ट कर सकते हैं, हमारे मन में सेक्स को लेकर पैदा होने वाली घृणा की भावना हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करती है। हमें सेक्स को पसंद करने

या इससे घृणा करने की भावना क्या सिखाई जाती है या हम जन्म से ही इस तरह की भावनाओं को लेकर पैदा होते हैं। हम किस तरह के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी संस्कृति में किन बातों पर चर्चा करने या जानने की मनाही है। क्या हमने कभी भी यौनिकता से जुड़ी भ्रान्तियों को तोड़ने का प्रयास किया है? यदि कोई महिला यौन रूप से सक्रिय हो परन्तु पुरुषों के साथ सेक्स न करना चाहे तो आप क्या करेंगे। आप अपने साथ काम कर रहे लोगों को अपनी कामेच्छाओं और यौन प्रवृत्तियों की जानकारी किस प्रकार देंगे। कितनी महिलायें अकेले किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने में सहजता महसूस करती है? हममें से बहुत से लोग डॉक्टर के पास केवल तभी जायेंगे जब अन्य कोई चारा शेष न रह जाये।

अलग–अलग तरह की यौन प्रवृत्तियों या कामेच्छाओं के बारे में अनेक विवरण दिए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यौन प्रवृत्तियाँ आनुवांशिक होती हैं; कुछ लोगों का मानना है कि पूर्व में हिंसा या उत्पीड़न के अनुभवों से यौन प्रवृत्तियाँ बदल जाती हैं। अलग–अलग प्रकार की इन व्याख्याओं के होते हुए भी यह कहना कठिन है कि कोई व्यक्ति समलैंगिक या लेस्बियन अथवा गे क्यों होता है? हमारे लिए आवश्यक है कि हम परिस्थितियों को जाँचने और समझने के अपने विषमलैंगिक तरीकों को चुनौती दें और यौनिकता के बारे में अपनी समझ का दायरा बढ़ायें।

सत्र 5

गतिविधि 5.1: सत्ता समीकरण /पावर वाक (60 मिनट)

उद्देश्य: उन तरीकों की पहचान करना जिन से लोग सत्ताधारी या सत्ताविहीन महसूस करते हैं

अपेक्षित परिणाम: एक विशेष ढांचे में परिस्थितियां कहां और कैसे सत्ता प्रदान करती हैं या सत्ताविहीन करती हैं, इसे व्यक्तिगत संदर्भों में समझा जा सकेगा।

प्रक्रिया:

समूह को सामने देखते हुये एक पंक्ति में खड़ा करें और निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। उनसे कहें वाक्य सुन कर वे जो अनुभव करते है, उसके अनुसार एक क़दम आगे आ जायें या एक क़दम पीछे हट जायें।

- वे जिन्होंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है, एक क़दम आगे आ जायें।
- जिन लोगों का अपना घर है, एक क़दम आगे आ जायें।
- जिन के पास क्रेडिट कार्ड है, एक क़दम आगे आ जायें।
- जिन के पुत्र हैं, एक क़दम आगे आ जायें।
- जिनकी बेटियां हैं, एक क़दम पीछे हट जायें।
- जिन के पास किसी अन्य देश की नागरिकता है, एक क़दम आगे आ जायें।

- जिन के पास कार है, एक क़दम आगे आ जायें।
- जो अपनी पहचान विषमलैंगिक के रूप में करते हैं, एक क़दम आगे आ जायें।
- जिनमें किसी प्रकार की विकलांगता है, एक क़दम पीछे हट जायें।
- जिन्होंने विदेश यात्रा की है, एक क़दम आगे आ जायें।
- जो पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं, एक क़दम पीछे हट जायें।
- जो अल्पसंख्यक समूह से हैं, एक क़दम पीछे हट जायें।

प्रशिक्षक के लिए सुझाव

आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यह गतिविधि सामाजिक प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस पर ध्यान दें कि कौन कब कहाँ खड़ा हुआ है, ताकि इस बारे में बात कर सकें।

आप प्रतिभागियों से पूछ सकते हैं कि उन्हें यह गतिविधि करते हुये कैसा लगा ? आगे बढ़ने और पीछे हटते समय उन्होंने कैसा अनुभव किया?

आप स्पष्ट कर सकते हैं कि लोग किस–किस प्रकार अपने समुदायों में सत्ताधारी या सत्ताविहीन महसूस करते हैं। कुछ सत्ता हमें उन परिस्थितियों में प्राप्त होती है, जिनमें हम जन्म लेते हैं, कुछ स्थितियां हम पैदा करते हैं और कुछ स्थितियों में बदलाव लाने के लिये हमें संघर्ष करना पड़ता है।

हमेशा दूसरे लोग ही हमारे बारे में निर्णय लेते हैं, कभी भले के लिये, कभी बुरे के लिये।

सत्ता का समीकरण बदल भी जाता है। उदाहरण के तौर पर आप कार्यशाला का संचालन कर रहे हैं। संचालक की हैसियत से आपके पास सत्ता है। लेकिन यह स्थिति बदल भी सकती है, यदि आप किसी ऐसे प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रहे हैं जो किसी प्रतिभागी द्वारा चलाया जा रहा हो।

चर्चा को यौनिकता के साथ जोड़ें और बतायें कि कैसे जाति प्रथा और धर्म/सम्प्रदाय हमारी यौनिकता को प्रभावित करते हैं।

क्योंकि हमारे देश में जाति प्रथा आज भी प्रचलित है और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। छोटी जाति की महिलाओं का यौन शोषण एक आम बात है। छुआछूत सिर्फ अन्य बातों तक सीमित है, यौन संबंध में इसका कोई महत्व नहीं है। सरकारी योजना के लाभ के लिए भी शारीरिक रिश्ता बनाने की मांग की जाती है।

साम्प्रदायिक हिंसा में यौनिक हिंसा हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यह केवल औरत विशेष की बात नहीं होती। यह उस पूरे सम्प्रदाय से जुड़ी होती है। औरत की इज्जत लूटना उस समुदाय की बेइज्ज़ती करने के बराबर है। कोई भी धर्म हो महिला और उसकी यौनिकता को एक ही नजरिए से देखा गया है। बटवारे के समय दोनो ही सम्प्रदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को इज्जत लुटने के डर से मार डाला था।

गतिविधि 5.2: यौनिकता पर नैतिकता का प्रभाव

(45 मिनट)

उद्देश्य: नैतिकता से जुड़े तथ्यों की पहचान करना

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: नैतिकता व यौनिकता से जुड़े मुद्दों पर विशेष समझ और अपने नज़रिये से परखने की क्षमता विकसित होगी।

प्रक्रिया:

- प्रशिक्षक कहानी पढ़ कर सुनाएं।
- प्रश्नोत्तर द्वारा चर्चा को आगे बढ़ायें।

कहानी – नदी के किनारे एक शादीशुदा दम्पत्ति रहते थे। हर रोज पति के काम पर चले जाने के बाद पत्नी सब्जी व सामान खरीदने नदी के उस पार जाती थी। एक दिन जब वह बाज़ार गई तो उसकी किसी से मुलाकात हुई और उसे प्यार हो गया। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। पति के चले जाने के बाद वह जाती और सारा दिन उस दूसरे व्यक्ति के साथ बिताती और पति के आने से पहले घर वापस लौट आती। एक शाम को बहुत आँधी तूफान और तेज बारिश आती है और नदी में बाढ़ आ जाती है। अब पति के आने से पहले उसे घर वापस लौटना है। ऐसा करने के लिए उसके पास तीन रास्ते हैं :–

- नदी में कूद जाए और तैर कर पार जाए। पर नदी में इतना पानी है कि अगर उसने ऐसा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा।

- पुल से नदी को पार करे। पर पुल के उस पार एक बलात्कारी रहता है उसे कई बार कोर्ट ले जाया गया पर कभी जुर्म साबित नहीं हुआ। पुल के बाद का रास्ता जंगल से होकर जाता है।
- नदी के किनारे एक नाव है और मल्लाह उसे नदी पार ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन नदी पार कराने के बदले वह उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहता है।

प्रश्न

अगर आप वो महिला होती तो कौन सा तरीका चुनतीं और क्यों ?

सम्भावित उत्तर हो सकते हैं:

- इस प्रकार अपने सम्मान का हनन होने का अनुभव होने से मर जाना बेहतर है।
- नदी तैर कर जाना पसंद करूंगी और शायद बच जाऊंगी।
- पुल पर से जाऊंगी।
- बलात्कारी से बचने की राह ढूंढूंगी।
- उसका जुर्म कभी साबित तो नहीं हुआ।
- जीवन बचाने के लिए संभोग करने में कोई धोखा नहीं।
- नारी सम्मान, कौमार्य और नैतिकता उसके जीवन से अधिक मूल्यवान है।

प्रशिक्षक के लिये सुझाव:

आप इस पूरी चर्चा और विचार–विमर्श को निम्नलिखित संभावित दिशा में ले जा सकते हैं :

जैसे वह व्यक्ति जिससे उस लड़की को प्रेम हुआ, ज़रूरी नहीं पुरुष हो और उस लड़की और उस व्यक्ति के बीच यौन संबंध हो। इस महिला को तो प्रेम हुआ है और संभव है कि वह अपने प्रेमी से केवल बातचीत कर रही हो। तब इस पूरे प्रकरण में धोखा दिए जाने का प्रश्न कहाँ उठता है।

कुछ लोग ऐसी स्थिति में मर जाना बेहतर समझते हैं। परन्तु यदि आपके एक संतान हो या होने वाली हो तो? पत्नी को पति के सम्मान का ही विस्तार समझा जाता है – कभी–कभी हम पुरुषों के सम्मान को बचाने के उद्देश्य से महिलाओं की यौनिकता नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं।

इन विकल्पों का चुनाव ठीक उसी तरह है जिस तरह के चुनाव हम वास्तविक जीवन में करते हैं – अर्थात कोई भी विकल्प पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए बहुत से लोगों का मानना है कि विवाहित जीवन में बलात्कार जैसी घटना नहीं होती।

सामूहिक चर्चा के लिये प्रश्न:

- यदि हम इस कहानी को पलट दें और बतायें कि यह एक पुरुष था, तो परिणाम क्या होगा? अब क्या हमारी धारणायें बदल गई हैं?
- क्या किसी पुरुष के मन में नदी में छलांग लगाने का विचार उत्पन्न होगा?
- अपनी इच्छा के विरुद्ध एक पुरुष के साथ संभोग करने वाले पुरुष के लिए इस स्थिति का क्या अर्थ होगा?
- क्या वे इस स्थिति से बचने के प्रयास करेगा या फिर बलात्कार हो जाने का खतरा उठायेगा।
- पुरुषों के साथ बलात्कार किए जाने की स्थिति का क्या अर्थ होता है?
- क्या आप ऐसी किसी महिला की कल्पना कर सकते हैं, जो अपना जीवन बचाने के लिए संभोग करने के लिए तैयार हो जाने की बजाये अपने पति को यह बताना अधिक बेहतर समझे कि उसके साथ बलात्कार हुआ था?

गतिविधि 5.3: वाद-विवाद (60 मिनट)

उद्देश्य: समाज में प्रचलित धारणाओं पर चुनौती पूर्ण ढंग से सोचना

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम : नज़रिये को चुनौती देना और नई सोच विकसित करना

प्रक्रिया:

- प्रशिक्षक वाक्य पढ़ें।
- सब लोगों को उनकी प्रतिक्रिया सहमति, असहमति या नहीं पता के अनुसार समूहें में बाँट दें।
- सबके निर्णयों को सुनने के बाद भी लोग अपने समूह बदल सकते हैं।
- प्रश्नोत्तर द्वारा चर्चा आगे बढ़ायें।

वाक्य – यौनकर्म/वेश्यावृत्ति अनैतिक है।

सम्भावित निर्णय निम्न निष्कर्षों की ओर इशारा कर सकते हैं:

- नैतिक तौर पर यह ग़लत है।
- इस में नैतिक/अनैतिक कुछ नहीं। यह उस व्यक्ति का अधिकार है।
- हो सकता है बिल्कुल अप्रत्याशित उत्तर सुनाई दे, उसके लिये तैयार रहें।

प्रशिक्षक के लिए सुझाव

- चर्चा को आप इस दिशा में ले जा सकते हैं कि यौनकर्म दुनिया का सब से पुराना कारोबार कहा जाता है। वेश्यावृत्ति शब्द सुनते ही हमारे मन में महिला का ही विचार आता है। इसके साथ ही हम नैतिकता को उस से जोड़ देते हैं। इस में अनैतिक क्या है।
- क्या हम कभी पुरूष यौनकर्मियों के बारे में सोचते है?
- समाज पुरूष को यौन इच्छा पूर्ति के लिये यौनकर्मी के पास जाने की अनुमति देता है। हम पुरूष को कभी अनैतिक नहीं कहते, लेकिन यदि महिला ऐसा करे....?
- क्या इसके बारे में हमने कभी सोचा है ?
- इस व्यवसाय का एक महिला और पुरूष के लिये क्या अर्थ है। अपने आस–पास हमें ऐसे लोग भी दिखायी देते हैं, जो यौन संबंध बनाने के लिये प्रेम होना या विवाह होना आवश्यक नहीं समझते। क्या यह ठीक है ?
- ज्ञान, सूचना एवं योग्यताओं को बेचना ,इनके माध्यम से पैसा कमाना ठीक है। शरीर बेचना क्या इस से अलग है ? हम इसे व्यवसायिक यौन कार्य कहते हैं, इससे जुड़े लोगों को व्यवसायिक यौन कर्मी कहते हैं, व्यवसायिक सामाजिक – कार्य क्यों नहीं कहते? यौन कारोबार में होने वाले सारे काम अच्छे नहीं हैं। लेकिन किसी भी कारोबार में सारा काम हमेशा अच्छा नहीं होता।
- हमारी परम्परा महिलाओं को केवल वैवाहिक संबंधों में ही यौन संबंध बनाने की इजाज़त देती है। यदि आपकी शादी न हुई हो और आपका कोई प्रेमी भी न हो, आप यौन रूप से सक्रिय हों तो आप क्या करेंगी, कहां जायेंगी?

- कहा जाता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से इस कारोबार में नहीं आते। जो हैं, उनमें से ज़्यादा तर इसे छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में छोड़ पाते हैं? हमारे समाज में उनके लिये क्या विकल्प मौजूद हैं।
- क्या महिला – पुरूष यौनकर्मियों का शोषण होता है? यदि हाँ तो क्या एक समान ही होता है?
- क्या वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिये?

वाक्य: समलैंगिकता को सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिये

सम्भावित निर्णय निम्न निष्कर्षों की ओर इशारा कर सकते हैं:

- इसमें कोई बुराई नहीं।
- हां, ताकि उनके अधिकारों का हनन रोका जा सके।
- एक ही लिंग के लोग यौन संबंध बनायें तो यह अप्राकृतिक है।
- यह समाज के लिये उचित नहीं।
- शादी की व्यवस्था को चोट पहुंचेगी।
- सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी?

प्रशिक्षक के लिए सुझाव

- अगर दो लोग सहमति से यौन संबंध बनाना चाहें तो इसमें क्या ग़लत है?
- "अप्राकृतिक" क्या है? अपनी धारणाओं को चुनौती देना आरम्भ करें।
- कितने लोगों को हम अपने जीवन से इस लिये बाहर कर देते हैं क्योंकि वे हमें कुछ अलग लगते हैं और अपनी आस्था, अपने विश्वास से अलग कोई विचार हम सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे में हम असहज महसूस करने लगते हैं।
- क्या हमें समलैंगिकता या बाइसेक्सुअलिटी जैसे शब्दों एवं उनकी परिभाषाओं पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।
- क्या किसी को यौन के आधार पर मानव अधिकारों से वंचित करना उचित है?

वाक्य: स्कूलों में कण्डोम वितरण होना चाहिये।

सम्भावित निर्णय निम्न निष्कर्षों की ओर इशारा कर सकते हैं:

- यह हमारी सभ्यता के विरूद्व है।
- स्वास्थय के दृष्टिकोण से सही है।
- इसके लिये आयु सीमा निर्धारित करना आवश्यक है।
- इस तरह हम बच्चों को यौन संबंध बनाने के लिये प्रेरित करेंगे।

प्रशिक्षक के लिए सुझाव

बच्चों को हम सेक्स के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध कराते हैं? हम यह मान कर चलते हैं कि सेक्स के बारे में बात करने से वे केवल इसी के बारे में सोचेंगे। उन्हें जितनी देर से इस बारे में पता चले, उतना ही बेहतर है। वह यौन रूप से सक्रिय हैं, उनकी अपनी इच्छायें हैं, इसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते।

प्रश्न उठ सकता है कि बच्चे यौन रूप से सक्रिय हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था स्कूलों में सेक्स करने की अनुमति नहीं देती तो हम स्कूलों में कण्डोम वितरण क्यों करें।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वतंत्र निर्णय योग्य नहीं समझा जाता। शादी के लिये आयु सीमा लड़कियों के लिये 18 वर्ष और लड़कों के लिये 21 वर्ष है। तो इससे पहले कण्डोम दे कर हम उन्हें क्या संदेश देंगे।

आप स्पष्ट कर सकते हैं कि हम में से कितने लोग शादी से पहले यौन संबंध स्थापित करते हैं।

असुरक्षित यौन संबंधों के कारण अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। तो क्या यह बेहतर नहीं है कि हम सच्चाई से आंखें मूंदने की बजाय उसे स्वीकार करें। अपनी सोच को बदलें और घुटन, तनाव एवं डरे रहने की जगह वास्तविकता को उसकी संपूर्णता में अपनायें।

वाक्य - बलात्कारी को मृत्यु दण्ड दिया जाना चाहिए।

सम्भावित निर्णय निम्न निष्कर्षों की ओर इशारा कर सकते हैं:

- बलात्कारी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
- सजा मिलनी चाहिए पर फांसी की नहीं, क्योंकि इससे सब खत्म हो जाएगा और किसी के भी जीने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता।
- कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।

प्रशिक्षक के लिए सुझाव

- हमें शुरू से यह बताया जाता हैं कि किसी महिला के लिये उसका कौमार्य सबसे कीमती चीज़ है। बलात्कार होने और मर जाने में कोई अंतर नहीं है। बलात्कार के समय हम बेबस, अपमानित, क्रोधी और दुःखी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसी अनेक परिस्थितियां होती हैं, जब हम शारीरिक और भावनात्मक रूप से आहत होते हैं। क्या यह सोचना ज़रूरी नहीं कि बलात्कार इस से कहां, कैसे और क्यों अलग है।
- क्या यह इस लिये गम्भीर अपराध है कि इसमें यौन क्रिया शामिल है। और पितृसत्तात्मक समाज में महिला का कौमार्य "इज़्ज़त" का विषय है। क़ानून भी केवल उसी को बलात्कार मानता है, जब लिंग का योनि में प्रवेश हुआ हो। यह सिद्व होने पर ही अपराधी को सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर किसी महिला पर यौन हिंसा की जाये, मगर लिंग का योनि में प्रवेश न हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे?

- बलात्कारी के लिये मुत्यु दण्ड की मांग करके क्या हम महिलाओं से जुड़ी "इज़्ज़त–शर्म" की भावनाओं को ही बढ़ावा नहीं दे रहे।
- क्या इस सज़ा के डर से बलात्कारी उन सारे प्रमाणों को नष्ट नहीं करना चाहेगा, जिन से उसका अपराध सिद्व होता हो। यानि पीड़ित व्यक्ति की हत्या ही कर दे?

गतिविधि 5.4: फिर से सोचें (45 मिनट)

उद्देश्य: कार्यशाला के दौरान जो भी चर्चायें हुई हैं, उनका समावेश करना

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: अब तक की चर्चाओं से जो समझ विकसित हुई, उसकी परख कर पायेंगे

प्रक्रिया:

- प्रतिभागियों को छोटे–छोटे समूहों में बांट दें।
- उन से पूछें अब उनके विचार में यौनिकता एंव यौनिक अधिकार क्या हो सकते हैं?

सम्भावित उत्तर इस प्रकार हो सकते हैं:-

यौनिकता

- यौनिकता हमारी प्रवृत्तियों और सामाजिक धारणाओं पर आधारित होती है।
- यौनिकता में बहुत सी चीजें शामिल रहती हैं: जैविक (यौनांग और हारमोन) मनोवैज्ञानिक एंव सामाजिक कारक और जेंडर का एहसास।
- यौनिकता जेंडर, इच्छा एंव अंगों पर आधारित होती है।
- यौनिकता वह मूल रुझान है, जिसके साथ हम पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इसका विकास होता है। यह जैविक एंव सामाजिक कारकों का समावेश है।
- यौनिकता केवल यौन क्रीड़ा नहीं है। इस पर बहुत सी चीजें अपना प्रभाव डालती हैं।

यौनिक अधिकार

- बिना दूसरों के प्रति भेद भाव किये हुये और अपने प्रति भेद भाव किये जाने के डर के बिना, अपनी अभिव्यक्ति और संतुष्टि का अधिकार।
- ये कानूनी, पैदाइशी और मानव अधिकार हैं, जो आपके अधिकारों को अभिव्यक्त करने और दूसरों के अधिकारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को अपने घेरे में लेते हैं।
- अपनी इच्छाओं की संतुष्टि का अधिकार, इच्छा के ख़िलाफ सेक्स न करने का अधिकार एंव दूसरों के यौन अधिकारों को सुनिश्चित करना।

- यौनिकता मानव अधिकार है।
- यह क्या होता है और कौन बताता है कि यह क्या है? एक जिम्मेदार यौन व्यवहार क्या है और इसे कौन परिभाषित करता है? यह केवल किसी एक समूह का मुद्दा नहीं है, बल्कि हम सबके लिये है।

प्रशिक्षक के लिए सुझाव:

आप सहभागियों को यौनिकता पर WHO की परिभाषा दे सकते हैं।

इस बात को सुनिश्चित कीजिये कि जेंडर ,यौनिकता, सत्ता, अधिकार एंव नज़रियों से संबंधित वे सारी महत्वपूर्ण बातें जो आप कहना चाहते हैं, उन पर चर्चा हो चुकी है। अगर कार्यशाला के दौरान इस सब में से कुछ नया निकल कर आया हो, तो उस पर एक बार फिर से बात कर लें।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 मूल्यांकन पत्र

परिशिष्ट 2 गतिविधि: यौनिक श्रेणीबद्धता/सेक्सुअल हाइरार्कीज

परिशिष्ट 3 परिभाषा

परिशिष्ट 4 उपयोगी फिल्में

परिशिष्ट 1

मूल्यांकन पत्र

कृप्या निम्नलिखित को १ से १० के पैमाने पर अंक दें, १ का अर्थ है सबसे कम और १० का अर्थ है सबसे अधिक।

1 क्या यह प्रशिक्षण आपके संस्थागत काम के लिये उपयोगी है?

2 क्या यह प्रशिक्षण निजी तौर पर आपके लिए उपयोगी है?

कृप्या निम्नलिखित का अपने शब्दों में उत्तर दें:

3 आपके अनुसार कौन सा सत्र उपयोगी नहीं था?

4 कौन सा सत्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों?

5 क्या आपको प्रशिक्षण का तरीका अच्छा लगा?

6 आपने इस प्रशिक्षण से नया क्या सीखा?

7 क्या इस प्रशिक्षण के बाद आपको लग रहा है कि आप जेंडर व यौनिकता के मुद्दे पर अब बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगें?

परिशिष्ट 2

गतिविधि: यौनिक श्रेणीबद्धता/सेक्सुअल हाइरार्कीज

उद्देश्य: यौनिकता को सामाजिक संदर्भों में समझना।

सामग्री: चार्ट पेपर, रंगीन पेन, सफेद बोर्ड

अपेक्षित परिणाम: यौनिकता के प्रति व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक नजरिये स्पष्ट होंगे।

- प्रतिभागियों को छोटे–छोटे समूहो में बांट दें।
- उनसे समाज में व्याप्त यौनिकता से जुड़े तथ्यों के बारे में विचार विमर्श करने को कहें।
- समाज में विभिन्न लोगों, उनके कार्य या जीवन शैलियों के रूप में एक श्रेणीबद्धता बनायें। जिस से यह स्पष्ट रूप से ज़ाहिर हो कि यौनिकता की दृष्टि से उनमें कौन ऊपर है और कौन नीचे हैं ।

प्रशिक्षक के लिए सुझाव:

आप पिछली गतिविधियों से उदाहरण लेते हुये स्पष्ट कर सकते हैं कि समाज में व्याप्त नजरिये के अनुसार यौनिक प्राथमिकतायें कैसे सब को सीमाओं में बांध देती हैं।

यौनिकता व यौनिक रिश्ते से ही किसी के रिश्तों और व्यकितत्व की पहचान की जाती है। महिलाओं की यौनिकता को अधिकांशतः विवाह, प्रजननशक्ति से जोड़ा जाता है। यौनिकता को महिलाओं के लिये आनन्द के मापदण्ड से कभी नहीं देखा जाता।

उदाहरण के तौर पर यौन कार्य की समाज में हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन प्राथमिकतायें यहां भी हैं। यदि हम यौन कार्य करने वाले समूह के व्यक्तियों को लेते हैं तो यौनिकता के दृष्टिकोण से महिला यौनकर्मी को शायद सब से ऊपर रखा जायेगा। उसके बाद पुरूष या ट्रांसजेंडर आदि को।

यह श्रेणीबद्धता आप किसी भी प्रकार की तस्वीर के सहारे चार्ट पेपर पर बना कर समूह के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।

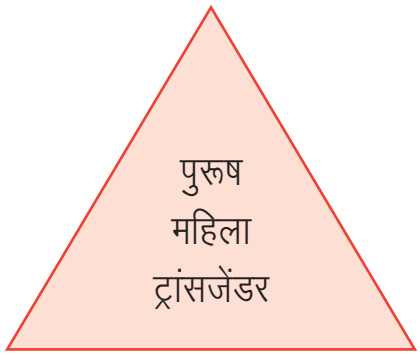

ऐसे ही हम किसी परिवार, संस्था या किसी अन्य समूह का उदाहरण ले सकते हैं और उनके अंदर श्रेणीबद्धता बना सकते हैं। इस श्रेणीबद्धता के माध्यम से हम यह समझेंगे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी स्तर पर हम उसकी यौनिकता से जोड़ कर देखते हैं। इसी से हमारा उनके प्रति नजरिया भी बनता है।

परिशिष्ट 3

परिभाषा

जेंडर की परिभाषा

जेंडर का अभिप्राय पुरूषों और महिलाओं की भूमिकाओं और आचरणों के बारे में सामाजिक अपेक्षाओं से है। जेंडर की परिभाषा पुरूष और स्त्री की भूमिकाओं, स्त्री–पुरूष संबंधों तथा आचरणों के जैविक व सामाजिक स्वरूप में अंतर करती है। जेंडर संबंध समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं, भले ही इनका निर्धारण दोनों लिंगों के बीच जैविक अंतर के कारण हुआ हो।

यौनिकता की परिभाषा

यौनिकता सम्पूर्ण मानव जीवन का केन्द्र बिन्दु है और इसमें यौन, जेंडर की पहचान व भूमिकायें, यौन रूचियाँ, कामेच्छा, आनन्द, सामीप्य और प्रजनन सम्मिलित है। यौनिकता का अनुभव और इसकी अभिव्यक्ति विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं, विश्वासों, दृष्टिकोण, मूल्यों, आचरणों, प्रथाओं, भूमिकाओं और संबंधों के माध्यम से होती है। यद्यपि यौनिकता में यह सभी भावनायें समाहित होती हैं फिर भी यह आवश्यक नहीं कि इन सभी का अनुभव हो या यह सभी अभिव्यक्त हों। यौनिकता पर जैविक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जातीय, वैधानिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा अध्यात्मिक संबंधों का प्रभाव पड़ता है।

स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार परिभाषा का मसौदा, अक्टूबर 2002

ट्रांसजेंडर – औरत और मर्द की परिभाषा में नहीं बंधे हुए। उदाहरण के लिए कोई शारीरिक रूप से मर्द हो सकते हैं लेकिन वो अपने जेंडर को 'मर्द' नहीं 'औरत' बताते हैं। या फिर वे अपने को इन दोनों अलग–अलग खानों में बांधकर नहीं देखते।

द्विलैंगिक/बाइसेक्सुअल – वे जो औरत और मर्द दोनों के प्रति आकर्षित हों।

विषमलैंगिक/हैट्रोसेक्सुअल – वे जो केवल दूसरे लिंग की ओर आकर्षित हों।

समलैंगिक – वे लोग जो अपने ही लिंग के किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो।

लेस्बियन – वे औरतें जो औरतों के प्रति आकर्षित हों।

गे – वे मर्द जो मर्दों के प्रति आकर्षित हों।

एल.जी.बी.टी. – लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर।

हिजड़ा – इस समुदाय में वे शामिल हैं जो शारीरिक रूप से मर्द पैदा हुए थे, लेकिन जिन्होंने या तो अपना लिंग कटवाया है या लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया किसी भी स्तर तक करवाई है या फिर अपने शरीर को बदले बिना 'हिजड़ा' पहचान अपनाई है (माना जाता है कि हिजड़ा समाज में आखिरी श्रेणी की संख्या सबसे ज़्यादा है)। हिजड़ा समुदाय में वे भी शामिल हैं जिनके जन्म के समय लिंग और योनि, दोनों यौन अंग होते हैं। (इस श्रेणी में आने वाले लोगों को अंग्रेज़ी में इंटर–सेक्स् या हरमाफ्रोडाइट कहते हैं)।

कोथी – शारीरिक तौर पर मर्द जो मर्दों के साथ यौन क्रियाएं करते हैं और अपने को महिला महसूस करते हैं। कोथी अधिकतर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के होते हैं।

एम.एस.एम. – मैन हू हैव सेक्स विद मैन – वे मर्द जो दूसरे मर्दों के साथ यौनिक क्रियाएं करते हैं। इनमें उन मर्दों को शामिल करने का प्रयास है जो अपने आपको 'गे' या 'बाइसेक्सुअल' जैसी पहचानों से नहीं जोड़ते। एम.एस.एम. अपने आपको मर्द की तरह महसूस करते हैं।

इंटरसैक्स – ऐसी शारीरिक स्थिति, जिसमें व्यक्ति जन्म से ही ऐसे जननांगों के साथ पैदा होता है जिन्हें स्त्री या पुरुष, किसी भी एक श्रेणी में रखना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जन्म के बाद भी अपने विपरीत लिंग की विशेषतायें विकसित कर लेने अथवा दोनों ही लिंगों के गुणों के समावेश की स्थिति को इंटरसैक्स कहा जाता है। पूर्व में इंटरसैक्स व्यक्तियों को 'हर्मोफ्रोडाइड' कहा जाता था। इस परिभाषा को अब नकारात्मक और गलत माना जाता है।

ट्रांससैक्सुॲल – ट्रांससैक्सुॲल ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्म के समय, प्रकृति द्व ारा दिये गये लिंग में शारीरिक परिवर्तन कर, दूसरा लिंग पाने के इच्छुक होते हैं या पा चुके होते हैं। सरल शब्दों में, इसे इस तरह कहा जा सकता है कि ''स्त्री शरीर में कैद पुरुष'' अथवा ''पुरुष शरीर में कैद स्त्री''। बहुत सी ट्रांससैक्सुॲल स्त्रियों का मानना है कि वे हमेशा से ही स्त्री थीं परन्तु उन्हें, उनके जननांगों के आधार पर पुरुष लिंग की पहचान दे दी गई थी। अब यह जानने के बाद कि वे वास्तव में महिला ही हैं, वे शारीरिक बदलाव द्वारा अपने शरीर को अपने जेंडर के अनुरूप लाना चाहती हैं। ट्रांससैक्सुॲल पुरुष इसके ठीक विपरीत सोचते हैं।

यौनिक अधिकार

''यौनिक अधिकारों'' के अन्तर्गत वे मानव अधिकार आते हैं जिन्हें पूर्व में ही राष्ट्रीय कानूनों, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों तथा अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेजों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार के डर, भेदभाव या हिंसा के बिना प्रदत्त किये जाने वाले निम्न अधिकार सम्मिलित हैं:

- ''यौनिकता से संबंधित'' उच्चकोटि के स्वास्थ्य स्तर की प्राप्ति जिसके अन्तर्गत यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना शामिल हैं।
- यौनिकता से संबंधित जानकारी की खोज करना, प्राप्ति और उसे प्रदान करना।
- यौनिकता की शिक्षा
- दैहिक अखंडता के प्रति सम्मान
- भागीदार का चुनाव
- यह निश्चित करना कि यौनिक दृष्टि से सक्रिय हो या नहीं
- स्वीकृति प्राप्त यौनिक संबंध
- मान्यता प्राप्त विवाह
- सन्तान प्राप्ति के विषय में निश्चय करना कि सन्तानोत्पत्ति अगर हो तो कब,
- एक निश्चित, सुरक्षित और आनन्ददायक यौन जीवन की प्राप्ति।

स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार परिभाषा का मसौदा, अक्टूबर 2002

साइबर सेक्स – साइबर सेक्स में दो या दो से अधिक लोग कम्प्यूटर नेट वर्क के माध्यम से एक–दूसरे को कामुक संदेश भेजते हैं।

स्रोतः http://en.wikipedia.org/wiki/Cybersex

एस एण्ड एम – इसमें एक साथी को दुख देने में और दूसरे साथी को पीड़ित होने में आनन्द आता है। दोनों साथियों का सहमत होना आवश्यक है। इसे अंग्रेजी में सैडोमैसोचिज्म (sadomasochism) कहते हैं।

http://en.wikipedia.org/wiki/Sadomasochism

"क्रास ड्रेसर" – क्रास ड्रेसिंग का मतलब ऐसे कपड़े पहनना है, जिन्हें समाज किसी दूसरे लिंग से जोड़ कर देखता है। लगभग हर समाज में औरतों –मर्दों की वेष भूषा अलग अलग होती है। क्रास ड्रेसिंग इस समाजी प्रथा के ख़िलाफ जाती है। इसी लिये इसे क्रास जेंडर व्यवहार भी कहा जाता है ।

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-dressing

परिशिष्ट 4

सामग्री:

- फ्लिप चार्ट
- रंगीन पेन
- प्रशिक्षण के उद्देश्य
- सेक्स तथा जेंडर की परिभाषा
- मूल्याकंन पत्र

इन सब सामग्रियों के अतिरिक्त जेंडर तथा यौनिकता की जानकारी देते समय फिल्मों को भी बहुत प्रभावी रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिल्मों के माध्यम से महिलाओं के प्रति भेदभाव, समाज में उनकी स्थिति और परिवार में उनकी भूमिका के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। फिल्मों को पूरी तरह या उनके कुछ भाग को दिखाकर उस पर चर्चा की जा सकती है।

जेंडर एंव यौनिकता पर निम्नलिखित फिल्में उपयोगी हो सकती हैं:

मृत्युदंड
फ़ायर
माई ब्रादर निखिल
आस्तित्व
रिहाई
फिल्म "दस कहानियां" से पूर्णमाशी, स्ट्रेंजर्ज़ इन द नाइट और ज़ाहिर

कुछ फिल्मों के सारांश निम्नलिखित हैं:

मृत्युदंड 1997

निर्देशकः प्रकाश झा, अवधिः 150 मिनट

यह बिहार के एक गांव में तीन महिलाओं की कहानी है (जिनके किरदार माधुरी दिक्षित, शबाना आज़मी तथा शिल्पा शिरोडकर द्वारा निभाए गए हैं) जो मिलकर पुरुषों की सत्ता तथा अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं। यह फिल्म बिहार में व्याप्त सबसे भ्रष्ट ताकतों – जातिवादी जमींदार, हाथ मलता राजनेता, पतित महात्मा, निष्क्रिय सरकारी अधिकारी – को उजागर करती है। इसमें बदलते बिहार के नये आयाम भी नजर आते हैं जैसे नीची जाति का व्यापारी, निर्दयी ठेकेदार तथा इस सबसे खतरनाक पितृसत्ता – जहाँ एक पढ़ी लिखी महिला अपनी बात कहने से डरती नहीं है।

फ़ायर 1997

निर्देशिकाः दीपा मेहता, अवधिः 158 मिनट

यह फिल्म दो महिलाओं के समयौनिक संबंधों पर आधारित है। राधा घर की बड़ी बहू है। उसका पति सन्यासी बनने का अभ्यास कर रहा है और उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं है और न ही उसके पति को उसकी इच्छाओं का ख़याल है। राधा घर का काम भी देखती है और पति के काम में भी हाथ बंटाती है। छोटी बहू सीता का पति उसके साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा न होने पर भी यौन के लिए मजबूर करता है और शादी होने के बाद भी उसके संबंध एक दूसरी लड़की के साथ भी हैं। घर में साथ रहते हुए एक दूसरे की सहायता और सहानुभूति के रिश्ते के साथ धीरे धीरे सीता और राधा में समयौनिक संबंध पनपता है जिसके

बारे में फिर सारे घर को पता चल जाता है। अंत में वे दोनों घर छोड़ कर चली जाती है।

माई ब्रादर निखिल 2005

निर्देशकः ओनिर, अवधिः 158 मिनट

फिल्म की कहानी सामाजिक मान्यताओं पर चोट करती है। यह 80 के दशक की कहानी है, जब एच आई वी के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी।

निखिल राज्य स्तर का तैराकी चैमिपयन है। दोस्तों और परिवार वालों को उस पर गर्व है। परिवार में पिता, माता और एक बहन है। पिता ने ही उसे तैराकी सिखायी थी। उसके समयौनिक संबंध हैं, जिन के बारे में किसी को नहीं पता। एक दिन बीमार पड़ने पर अस्पताल जाता है तो पता चलता है कि वह एच आई वी संक्रमित है। उस समय बल्कि आज भी एच आई वी/एडज को "गे रोग" समझा जाता है। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चलता है उसकी दुनिया बदल जाती है। परिवार वाले, दोस्त सब उसे छोड़ देते हैं। उन्हें परेशानी रोग और तकलीफ से नहीं, उसके "गे" होने से है। सिर्फ उसका मित्र और बहन अंत तक उसका साथ देते हैं।

फिल्म में दिखाया गया है कि कोई रोग कैसे संबंधों को प्रभावित करता है, इसके बारे में क्या–क्या भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। हमारी यौनिक प्राथमिकतायें सामने आते ही कैसे हम एक अपराधी की तरह देखे जाने लगते हैं।

आस्तित्व 2000

निर्देशकः महेश मंजरेकर, अवधिः 120 मिनट

हमारी परम्परा महिलाओं को केवल वैवाहिक संबंधों में ही यौन संबंध बनाने की इजाज़त देती है। और मानती है कि महिला की अपनी यौन इच्छा नहीं होती। वह केवल पुरूष की यौन इच्छा पूर्ति में उसका साथ देती है। लेकिन अगर महिला यौन इच्छा अभिव्यक्त करे और वैवाहिक संबंधों में इच्छा पूर्ण न हो और वह विकल्प तलाश करे तो समाज उसे किस दृष्टि से देखता है, क्या कहता है, यह फिल्म इसी पर आधारित है।

फिल्म की मुख्य चरित्र अदिति हाउस वाइफ है। घर में पति है, एक बेटा है जिसकी सगाई एक प्रगतिशील विचारधारा वाली लड़की से हो चुकी है। उसकी जिंदगी खाना पकाने और घर का रोजमर्रा काम करने तक सीमित है। इस जीवन से वह संतुष्ट है।

सहज गति से चल रहे जीवन में मोड़ उस समय आता है, जब अदिति को उसके संगीत टीचर मल्हार के वकील की ओर से अदिति के नाम जायदाद छोड़े जाने की सूचना मिलती है। श्री कांत को अदिति और मल्हार के संबंधों पर शक होता है। तब उनकी नई नई शादी हुई थी। वह बिज़नेस के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। उन दिनों अदिति संगीत सीख रही थी। अदिति बता देती है कि मल्हार ही उसके बच्चे का पिता है। यह बात बताने की कोशिश उसने पहले भी की थी। लेकिन श्री कांत बिज़नेस में इतना ज्यादा मगन था कि उसने अदिति की किसी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पति और पुत्र दोनों उस से संबंध रखने से इनकार कर देते हैं। मगर बेटे की मंगेतर अदिति का साथ देती है।

रिहाई 1988

निर्देशिकाः अरूणा राजे, अवधिः 158 मिनट

यह एक ऐसे गांव की कहानी है, जहां पुरूष काम की तलाश में बाहर गये हैं। उनकी पत्नियां घर की, बच्चों की देख भाल करती हैं। वे पत्नियों से दूर यौन संतुष्टि के लिये वेश्याओं के पास जाते हैं, पत्नियां भी यौन संतुष्टि के लिये रास्ता ढूंढ लेती हैं। एक गर्भवती हो जाती है और बता देती है कि बच्चा उसके पति का नहीं है। पति लौट कर आते हैं। गांव में हंगामा हो जाता है, उसे गांव से निकालने की मांग की जाती है। मामला पंचायत के सामने आता है। पंचायत उसे दोषी मानती है। तब गांव की सारी महिलायें इस निर्णय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और महिला की यौन इच्छा का प्रश्न सामने आता है।

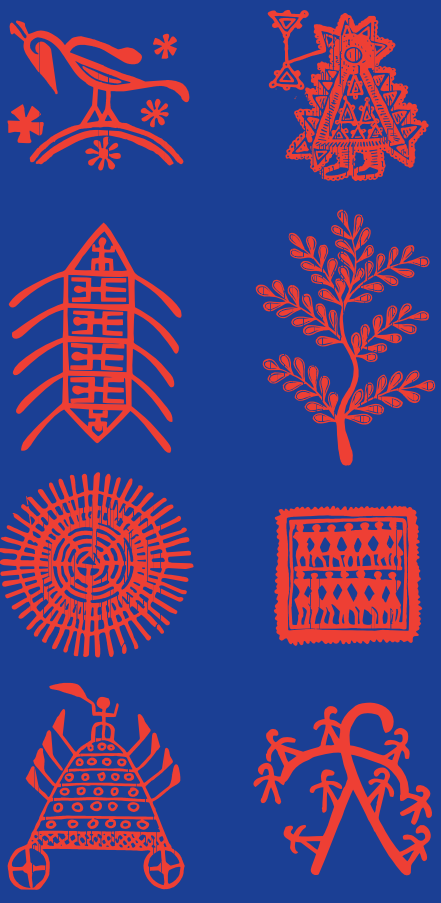

7 मथुरा रोड, दूसरी मंजिल, जंगपुरा बी, नई दिल्ली – 110 014
फोन: 011-24377707 फैक्स: 011-24377708
ईमेल: crea@vsnl.net वेबसाइट: www.creaworld.org